169

276

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोंदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

Rs. 30/-

श्रीमती सुशीलादेवी अग्रवाल पत्नी श्री कामताप्रसाद अग्रवाल निवासी टिकुरिया टोला सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)......आवेदिका / निगराकार

R 5198-II/15

बनाम

1) शासन म0प्र0

2) श्रीमती विभा चतुर्वेदी पत्नी श्री उमेश चतुर्वेदी निवासी ग्राम बिरहुली तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ....अनावेदक / गैरनिगराकारगण

निगरानी (पुनरीक्षण) विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना प्रथम तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 जरिये रा0प्रकरण क्रमांक 188अ12 / 2014–15 आदेश दि0 30 / 09 / 15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

श्री ... द्वारा आज दिनांक 28.11.15 को प्रस्तुत किया गया।
मर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में आवेदिका / निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदिका / निगराकार मौजा बदखर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 की आराजी खसरा नं0 285 / 1 / ख / 1 रकवा 0.077 हे0 की अभिलिखित भूमिस्वामी व काबिजदार है जिसे आवेदिका ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.03.1991 को क्रय किया गया है व अपने स्वामित्व की उक्त आराजी पर पत्थर, ढोका की बाउण्ड्री बॉल लगभग 5 फिट ऊंची निर्मित कराकर मौके से काबिज दाखिल चली आ रही है।

दिनांक 25.10.2015 को गैरनिगराकार क0 2 मौके पर जाकर आवेदिका / निगराकार की भूमि के अंश भाग पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए बाउण्ड्री बॉल तोड़ने लगी तब आस–पास के व्यक्तियों द्वारा फोन पर सूचना

क्रमशः.......2

सुशीला देवी अग्रवाल

(169)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5198–II/2015 जिला–सतना

श्रीमती सुशीला देवी/शासन, विभा चतुर्वेदी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त सतना प्रथम, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 188/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	